

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 338]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2026 — ज्येष्ठ 29, शक 1948

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR-35010/1224/2026-TE.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, के साथ सेवा प्रदान करने वाले उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन सेवा, जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई	डिग्री प्रमाण पत्र जारी करना	60 दिवस	परीक्षा नियंत्रक	कुलसचिव	कुलपति
2.	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई	अस्थाई प्रमाण पत्र जारी करना (सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए)	15 दिवस	परीक्षा नियंत्रक	कुलसचिव	कुलपति
3.	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई	डिप्लोमा प्रमाण पत्र जारी करना	60 दिवस	परीक्षा नियंत्रक	कुलसचिव	कुलपति

4.	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई	ट्रांसक्रिप्ट जारी करना	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक	कुलसचिव	कुलपति
----	--	----------------------------	---------	---------------------	---------	--------

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 19th June 2026

NOTIFICATION

No. GENCOR-35010/1224/2026-TE.— In exercise of the powers conferred by Section 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, notifies the name of office, services to be provided by the department as specified in the Schedule given below, along with the stipulated time limit for delivery of such services, the designation of the Designated Officer (post) responsible for providing the Service, the Competent Authority, and the designation of the Appellate Authority, namely:-

SCHEDULE

S. No.	Name of the Office/Body/ Agency	Service to be provided under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time limit for providing the service (working days)	Designated Officer (post) responsible for providing the service	Competent Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai	Issuance of Degree Certificate	60 days	Exam Controller	Registrar	Vice Chancellor
2.	Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai	Issuance of Provisional Degree (for Affiliated Colleges)	15 days	Exam Controller	Registrar	Vice Chancellor
3.	Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai	Issuance of Diploma Certificate	60 days	Exam Controller	Registrar	Vice Chancellor
4.	Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai	Issuance of Transcript	30 days	Exam Controller	Registrar	Vice Chancellor

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR-35010/1224/2026-TE.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10-8/2011/42, दिनांक 16 दिसम्बर 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं और नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

सरल क्रमांक 8 के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन सेवा, जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा- (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार	नियोक्ता (सी.एन.वी. अधिनियम के तहत) पंजीकरण	7 कार्य दिवस	जिला रोजगार अधिकारी/ उप संचालक	कलेक्टर	कमिश्नर
10.	मार्गदर्शन केन्द्र	नियोक्ता (रोजगार मेला) पंजीकरण	7 कार्य दिवस	जिला रोजगार अधिकारी/ उप संचालक	कलेक्टर	कमिश्नर”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR-35010/1224/2026-TE.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, के साथ सेवा प्रदान करने वाले उत्तरदायी अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन सेवा, जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा- (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण	आनलाईन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी) पंजीयन	35 कार्य दिवस	सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण	कलेक्टर सह-अध्यक्ष, जिला कौशल विकास प्राधिकरण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
2.	छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण	नवीन नियोक्ता पंजीयन (सीएसएसडीए)	15 कार्य दिवस	सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण/ प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 19th June 2026

NOTIFICATION

No. GENCOR-35010/1224/2026-TE.— In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, notifies the name of office services to be provided by the Department as specified in the Schedule given below, along with the stipulated time-limit for delivery of such services, the designation of the Designated Officer (post) responsible for providing the service, the Competent Authority, and the designation of the Appellate Authority, namely:-

SCHEDULE

S. No.	Name of the Office/Body/ Agency	Service to be provided under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time limit for providing the service (working days)	Designated Officer (post) responsible for providing the service	Competent Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Chhattisgarh State Skill Development	Online Vocational Training	35 Working Days	Assistant Director, District Skill	Collector-cum-Chairperson, District Skill	Chief Executive Officer, Chhattisgarh

	Authority	Provider (VTP) Registration		Development Authority	Development Authority	State Skill Development Authority
2.	Chhattisgarh State Skill Development Authority	New Employer Registration (CSSDA)	15 Working Days	Assistant Director, District Skill Development Authority / Manager, Chhattisgarh State Skill Development Authority	Additional Chief Executive Officer / Deputy Chief Executive Officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority	Chief Executive Officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.